उच्च वर्ग आयोग के गठन का आदेश पटना, जागरण ब्यूरो : राज्य सरकार ने उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग के गठन के संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होंगे। राज्य सरकार इनका मनोनयन करेगी। इनका कार्यकाल तीन वर्षो का होगा। राज्य सरकार अखिल भारतीय सेवा, केन्द्रीय सेवा या राज्य सेवा के किसी सेवा के कार्यरत या सेवानिवृत अधिकारी को सचिव के रूप में नियुक्त कर सकेगी। आयोग के कार्य एवं दायित्वों को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि यह उच्च जातियों में से शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की पहचान करेगा और समग्र अध्ययन कर इनके पिछड़ेपन को दूर करने के संबंध में सरकार को विस्तृत प्रतिवेदन देगा।

निजता नीति | सेवा की शर्तें | आपके सुझाव
इस पृष्ठ की सामग्री जागरण प्रकाशन लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई है
कॉपीराइट © 2007 याहू वेब सर्विसेज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित
कॉपीराइट / IP नीति